

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: आई.डी.एस.पी./2021/101


दिनांक: 19/4/2021

समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

विषय :- कोविड-19 के प्रबंधन हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्तमान में देश एवं प्रदेश में भी प्रतिदिन कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने से रोगियों एवं मृत्यु की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोविड संक्रमण के बचाव व नियंत्रण हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं, उक्त की निरन्तरता में कोरोना के बचाव व नियंत्रण हेतु प्रभावी विस्तृत कार्यवाही किये जाने के क्रम में निम्न की पालना अविलम्ब सुनिश्चित करें।

1. अस्पतालों में कोविड-19 उपचार को प्राथमिकता दी जायें। कोविड-19 के रोगियों के लिये अधिक से अधिक बैड आरक्षित करें। अस्पतालों में खाली पड़े स्थानों का इस हेतु उचित उपयोग किया जायें।
2. कोविड-19 की दवा तथा अन्य कन्ज्यूमेबल्स की उपलब्धता व आवश्यकता की दैनिक रूप से समीक्षा करें तथा समय पूर्व इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें।
3. ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा आवश्यकता की दिन में दो बार प्रतिदिन समीक्षा करें। इसके अन्तर्गत ऑक्सीजन सप्लाई तथा आवश्यकता की संख्याओं की समीक्षा करते हुये इसकी वृद्धि दर व आगे के 01 सप्ताह में आवश्यकता क्या रहेगी, इसका भी विश्लेषण करें। इसका समय रहते समाधान भी करें।



(सिद्धार्थ महाजन)

शासन सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,


राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: आईडीएसपी/2021/101

दिनांक: 19/4/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मिशन निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, एनएचएम, राजस्थान।
6. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
7. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.), मुख्यालय।
8. राज्य नोडल ऑफिसर, आईडीएसपी, मुख्यालय।
9. समस्त, संयुक्त निदेशक, राजस्थान।
10. समस्त, प्राधानाचार्य एवं नियंत्रण, राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
11. समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त, अधीक्षक, राजकीय चिकित्सालय, राजस्थान।
13. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल असोसियेशन, राजस्थान।
14. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते संबंधित को ई-मेल करने बाबत।
15. रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।